

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
09/04/25	<u>आदेश</u> (157/24) (B.W.S.S. 164) पूर्व से भा. ना. सु. सं. 163 के तहत संचालित इस वाद को भू-विवाद की अदिलता तथा दखल-कब्जे के निष्पत्ति हेतु भा. ना. सु. सं. की धारा 164 के तहत परिणत किया गया था। उक्त आदेश का नोटिस निर्गत कर दिनांक 28/11/25 से पुनः वाद की सुनवाई आदेश की- गई। सुनवाई के क्रम में यह प्रतीत हुआ कि मामला स्वत्व (Title) से संबंधित है। प्रथम पक्ष ने लिखित सूचना दिया कि उक्त विवाद को लेकर सिविल न्यायालय जिल्डीह में एक बैचवाला वाद 04/25 लेफ्ट है। प्रथम पक्ष वाद को वापस लेने का भी अग्रह करते हैं। मुंडी मामले का स्वामी समाधान हेतु सशम न्यायालय में वाद विचारधीन है तथा प्रथम एवं द्वितीय पक्ष की प्रत्येक वर्तमान में तनाव की स्थिति भी नहीं है अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में समानांतर रूप से वाद चलाया जाना उचित नहीं है। अतः वाद की कार्यवाई बिला कोई अतिम आदेश के समान की जाती है तथा उक्त पक्ष	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

को आदेशित किया जाता है कि
सिविल न्यायालय से अंतिम निर्णय
आने तक क्षेत्र में शांति व्यवस्था
बनाए रखेंगे।

लेखापति एवं संचोपित

9/4/15
SDM Bagodah Saraya.

9/4/15
SDM